पुस्तकालय

2359
18-12-02

असंशोधित

16 DEC 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1 –कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

बि० स० मु० (एन० ए०) 85--मोनो--500--13-3-2002--,

टर्न-6/16.12.02/
श्री रमण/

अल्पसूचित प्रश्न सं0-29 पर पूरक

अध्यक्ष : कोई अंतिम सीमा तय हुई है भारत सरकार की कि कबतक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री उपेन्द्र प्र0 वर्मा(मंत्री): यह तो अभी नहीं हुआ है लेकिन जिनका टेंटेटिव किया गया है महोदय, उनसे अभ्यावेदन या प्रोटेस्ट मांगा गया है ?

अध्यक्ष : कोई सीमा तो होगी न ?

श्री उपेन्द्र प्र0 वर्मा(मंत्री): उसके अनुसार कार्रवाई होगी ।

श्री गणेश प्र0 यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सारी प्रक्रिया पूरी करने में सरकार को कितना समय और श्र लगेगा ? एक समय सरकार निर्धारित करे । दो माह, चार माह, दस साल, बीस साल ।

अध्यक्ष : समय तो निर्धारित भारत सरकार करेगी न ।

श्री गणेश प्र0 यादव : यहां से निर्धारण करके भेजें । अपना काम कब तक पूरा कर लेंगे, यहां की सरकार अपना काम कब तक पूरा कर लेगी ?

श्री उपेन्द्र प्र0 वर्मा(मंत्री): यथाशीघ्र । जितनी जल्दी । हम उनसे अनुरोध कर देंगे कि आप इनको जल्द से जल्द दोनों राज्यों के हित में निपटारा कर दें ।

श्री गणेश प्र0 यादव : कब तक हो जायेगा ? दोनों जगह हौच-पौच की स्थिति है ।

अध्यक्ष : बिहार सरकार की इच्छा है कि जल्द से जल्द हो जाय ।

~~श्रेश्र~~ श्री गणेश प्र0 यादव : जल्दी का मतलब दो-चार घंटे होता है ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0- ... 103.

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कैसे छुट कर दें ? कौन तिथि को आयेगा ?

तारांकित प्रश्न सं0-103

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा(मंत्री): ... महोदय(1) माननीय केन्द्रीय मंत्री के मानसी आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश प्रभारी प्रवर को दिया गया था परन्तु माननीय मंत्री के आगमन की दिशा स्पष्ट नहीं थी जिसके कारण ~~श्र~~ स्कोर्ट एवं पी0एस0ओ0 सीधा मानसी भेज दिया गया था।प्रभारी प्रवर आदेश के उल्लंघन के दोषी नहीं हैं ।

(2) वर्त्तमान आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया ने प्रतिवेदन किया है कि उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रभारी प्रवर ने निर्वाचन संबंधी आरक्षी अधीक्षक के आदेश का अनुपालन नहीं किया ।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(4) ... प्रभारी प्रवर का स्थानांतरण ... सरकार के विचाराधीन है ।

टर्न-6/16.12.02/ (13)
श्रीरमण/

श्री योगेन्द्र सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह नियम के विरूद्ध प्रचारी प्रवर लगातार चार वर्षों से वहां पदस्थापित हैं और सरकार के नियम के अनुसार तीन वर्ष का नियम है, इनको स्वत: स्थानांतरित हो जाना चाहिये, इस स्थिति में इन्हें आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि तमाम बातों के आलोक में उसका स्थानांतरण कबतक किया जायेगा ?

श्री उमेन्द्र प्र0 वर्मा (मंत्री) : सरकार इस पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष : स्थानांतरण सामान्यत: दिसम्बर में होता है ।

श्री योगेन्द्र सिंह : कब तक करेंगे, यह बता दें ।

टर्न-7/राजेश/16.12.2002

तारांकित प्रश्न संख्या:-103 का पूरक

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह जी, आप सरकार की मंशा को देखिये । सरकार ने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि मामला विचाराधीन है, एस्टैबलिसमेंट कमिटी दिसम्बर में बैठेगी, यह मामला विचाराधीन है, उसमें होगा ।

श्री योगेन्द्र सिंह:- अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट जानना चाहते हैं कि चार वर्ष का इनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, इस स्थिति में विचाराधीन का सवाल कहाँ उठता है, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से सरकार से जानना चाहते हैं कि इसके लिए समय सीमा निर्धारित होगा ?

श्री दशई चौधरी:- अध्यक्ष महोदय, अगर विचाराधीन का मामला है तो इसतरह का सवाल ही विधान-सभा में क्यों आता है ?

श्री योगेन्द्र सिंह:- अध्यक्ष महोदय, 10 दिन पहले भी ट्रान्सफर पोस्टिंग हुआ है ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा(मंत्री):- अध्यक्ष महोदय, विचार करना भी एक आश्वासन ही है, आप माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह जी को बता दीजिये ?

अध्यक्ष:- होगा, अब हो गया, बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या:-104

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा(मंत्री):- खण्ड 1:- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि करमचक थाने की पुलिस दिनांक 26.11.2002 को सवार गाँव में गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर थाना को ओर चले, इसी बीच 100-150 ग्रामीणों द्वारा इन्हें छुड़ाने के लिए नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर पुलिस बल को घेरते हुए उनके उपर पत्थर-रोड़ा आदि से प्रहार किये, जिससे अवर निरीक्षक ईश्वर चन्द्र शर्मा, स0अ0नि0अशोक राम, आरक्षी 426 रामचन्द्र यादव एवं चौकीदार 18/12 रतन पासवान जख्मी हो गये तथा जीप क्षतिग्रस्त हो गई । जब अनियंत्रित भीड़ ने हवलदार उपेन्द्र सिंह को जख्मी कर दिया तब उसने आत्मरक्षार्थ एवं सरकारी सम्पत्ति के सुरक्षार्थ एक चक्र अपने कार्बाइन से गोली चलायी जिससे केदार सिंह जख्मी हुये जिसे जख्मी होते देख उपरोक्त लोग पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भाग गये। जख्मी केदार सिंह को पुलिस इलाज हेतु तत्काल सदर अस्पताल भभुआ लायी जहाँ पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया ।

खण्ड 2:- उत्तर अस्वीकारात्मक है । ग्रामीणों द्वारा की गई रोड़ेबाजी में अ0नि0ईश्वर चन्द्र शर्मा, स0अ0नि0अशोक राम, हवलदार उपेन्द्र सिंह आरक्षी-426 रामचन्द्र यादव एवं चौकीदार 18/12 रतन पासवान जख्मी हुये है। तथा थाना की जीप क्षतिग्रस्त हुई है । जख्मी अ0नि0ईश्वर चन्द्र शर्मा फर्द बयान के आधार पर भगवानपुर(करमचक थाना) थाना कांड संख्या-151/02 दिनांक